डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

174] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1994/वैसाख 3, 1916
No. 174] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1994/VAISAKHA 3, 1916

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1994

सा.का.नि. 398 (अ).—केन्द्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 9) का, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार करती है अर्थात्:—

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर इस प्रकार विस्तारित अधिनियम में:—

(1) धारा 1 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) यह 23 अप्रैल, 1994 को प्रवृत्त होगा।"

(2) (क) "पंजाब राज्य" पंजाब और "राज्य" शब्दों, के स्थान पर वृहत नाम के सिवाय जहां जहां वे आते हैं ;

"चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पंजाब सरकार", "राज्य सरकार" और "पंजाब राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा ;

(2) धारा 2 में:—

(i) खंड (ख) को खंड "(कक)" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड से पहले निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ii) खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

(ण) "उपायुक्त" से चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का उपायुक्त अभिप्रेत है";

(iii) खण्ड (व) के अंत में "जैसा चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे :

(iv) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(छ) "सक्षम प्राधिकारी" के अन्तर्गत खण्ड विकास समिति, नगर पालिका समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत अधिसूचित क्षेत्र समिति या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित कोई अन्य प्राधिकारी है ;

(v) खण्ड (झक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा; अर्थात्:—

"(झक) "अनुसूचित जातियों" से संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट कोई अनुसूचित जाति अभिप्रेत है ;

(vi) खण्ड (यथम) में "तत्समय प्रवृत्त" शब्दों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खण्ड (यथछ) के अंत में "जैसा चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(4) धारा 3 में :—

(i) उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (क) में "तत्समय प्रवृत्त" शब्दों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में "तत्समय प्रवृत्त" शब्दों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त" शब्द रखे जाएंगे।

(5) धारा 26 का लोप किया जाएगा ।

(6) धारा 32 में "तत्समय प्रवृत्त" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं "चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त" शब्द रखे जाएंगे।

(7) धारा 40 में "तत्समय प्रवृत्त" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त" शब्द रखे जाएंगे।

(8) धारा 47 की उपधारा (3) के अंत में "जैसा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(9) धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (घ) में "तत्समय प्रवृत्त" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त" शब्द रखे जाएंगे ।

(10) धारा 60 में :—

(i) खंड (घ) में "तत्समय प्रवृत्त" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (च) में "पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 18)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के पश्चात् "जैसा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(11) धारा 98 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में "पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961" शब्द और अंकों के पश्चात् "जैसा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(12) धारा 99 की उपधारा (1) में—

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य (लोक सभा)"

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

(13) धारा 161 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में "पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961" शब्द और अंकों के पश्चात् "जैसा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(14) धारा 162 की उपधारा (1) में:—

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

"(ग) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य (लोक सभा)

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

(15) धारा 223 में "राज्य विधान मंडल के समक्ष" शब्दों के स्थान पर "संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष" शब्द रखे जाएंगे।

(16) धारा 228 की उपधारा (1) में :—

(i) खंड (i) में, "(1953 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 4)" कोष्ठक, शब्द और अंकों के पश्चात् "जैसा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है" शब्द अंत स्थापित किए जाएंगे

(ii) खंड (ii) में "(1961 का पंजाब अधिनियम संख्यांक (3)" कोष्ठक, शब्द और अंकों के पश्चात् "जैसा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है" शब्द स्थापित किए जाएंगे।

(17) अनुसूची 2 की मद संख्या (क).(v) (ख), (घ), (छ) और (ठ) में आने वाली पंजाब अधिनियमितियों के पश्चात् "जैसा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू 11015/1/94—यू टी एल]

आर. आर. शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1994

GSR 398(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Panchayati Raj Act, 1994 (Punjab Act No. 9 of 1994) as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

In the Act so extended to the Union territory of Chandigarh;—

(1) in section 1, for sub-section (3) the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) It shall come into force on 23rd day of April, 1994";

(2) (a) for the words "State of Punjab", "Punjab State ", "Punjab" and "State", wherever they occur, except the long title, the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(b) for the words "Punjab Government", "Government of Punjab", "Government of the State of Punjab", "State Government", and "State Government of Punjab", wherever they occur, the words "Administrator" shall be substituted.

(3) in section 2,—

(i) clause (a) shall be re-numbered as clause "(aa)", and before the clause so re-numbered. the following shall be inserted, namely:—

(a) 'Administrator' means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;";

(ii) for clause (o), the following shall be substituted, namely:—

"(o) 'Deputy Commissioner' means the Deputy Commissioner of the Union territory of Chandigarh;";

(iii) in clause (w), the words, "as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be inserted at the end;

(iv) for clause (ze), the following shall be substituted, namely:—

"(ze) 'local authority' includes a Municipal Corporation, Municipal Committee, Zila Parishad, Panchayat Samiti, Gram Panchayat, Notified Area Committee, or any other authority constituted under this Ac or under any other law for the time being in force;";

(v) for clause (zv), the following shall be substituted, namely:—

"(zv) 'Scheduled Castes' means any of the Scheduled Castes specified in Part II of the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories) Order, 1951;";

(vi) in clause (zzc) the words "for the time being in force", the words "for the time being in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(vii) in clause (zzg), the words "as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be inserted at the end;

(4) in section 3:—

(i) in sub-section (1), in the second proviso, in clause (a), for the words "for the time being in force", the words "for the time being inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(ii) in sub-section (4) for the words "for the time being inforce", the words "for the time being inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

(5) section 26 shall be omitted.

(6) in section 32, for the words "for the time being inforce", wherever they occur the words "as inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

(7) in section 40, for the words "for the time being inforce", wherever they occur the words "as inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

(8) in section 47, in sub-section (3), the words "as inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be inserted at the end.

(9) in section 56, in sub-section (1), in clause (d), for the words "for the time being inforce", the words "as inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

(10) in section 60,—

(i) in clause (c), for the words "for the time being inforce", the words "for the time being inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(ii) in clause (f), after the words and figures "the Punjab Tenancy Act, 1887", the words "as inforce in the Union territory of Chandigarh", shall be inserted.

(11) in section 98, in sub-section (2), in the second proviso, after the words and figures "the

Punjab Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1961", the words "as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

(12) in section 99, in sub-section (1),—

(i) for clause (c), the following shall be substituted, namely:—

"(c) Member of Parliament (Lok Sabha) representing the Union Territory Chandigarh.";

(ii) Clause (d) shall be omitted.

(13) in section 161, in sub-section (1), in the second proviso, after the words and figures "the Punjab Panchayat Samiti Zila Parishads Act, 1961", the words "as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

(14) in section 162, in sub-section (1),—

(i) for clause (c), the following shall be substituted, namely:—

"(c) the Member of Parliament (Lok Sabha) representing the Union territory of Chandigarh.";

(ii) clause (d) shall be omitted.

(15) in section 223, for the words "before the State Legislature", the words, "before each House of Parliament" shall be substituted.

(16) in section 228, in sub-section (1),—

(i) In clause (i) after the brackets, words and figures "(Punjab Act No. IV 1953)", the words "as inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be inserted;

(ii) in clause (ii), after the brackets, words and figures, "(Punjab Act No. 3 1961)", the words "as inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

(17) in the Schedule II, after the Punjab enactments appearing at item No. (a), (v), (b), (f) (g) and (i), the words "as inforce in the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

R. R. SHAH, Jt. Secy.

[F No. U-11015/1/94-UT

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994